ए/

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

16/10/23 पत्रावली पेश हुई। आज इस दौरान [illegible] आवश्यक कार्यवाही न बाकी है। अतः [illegible] होकर पत्रावली आइन्दा 12/1/24 को पेश हो।

12/1/24 – पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :— 72/2019

प्रार्थीनी

1. कानूदेवी पत्नी पीराराम
   जाति मेघवाल निवासी नेडीनाडी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पथ निर्माण विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. बाड़मेर
   जरिये सहायक अभियन्ता गुड़ामालानी
2. सोहनी पत्नी रोहित
   जाति विश्नोई निवासी हेमागुडा तहसील चितलवाना
3. इमरती पत्नी शंकरलाल
   जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन पत्र वास्ते तरमीम शुद्धिकरण अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीनी**
2. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 12.01.2024

प्रार्थीनी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा. अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा बेरीगांव पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 12/9 रकबा 2—08 बीघा का आया हुआ है जिसमें प्रार्थीनी ने नामान्तरण संख्या 873 दिनांक 31.10.2014 से संपरिवर्तन खसरा नम्बर 12/9 में से खसरा नम्बर 12/10 रकबा 1—10 बीघा गेर मुमकिन आवासीय दर्ज किया गया। जिसका आगे बेचान विप्रार्थी संख्या 2 व 3 को कर दिया गया जिसके अनुसार तरमीम की जाकर खसरा नम्बर 12/9 का शेष रकबा 18 बिस्वा का प्रार्थीनी का शेष रहा है जिसकी प्रार्थीनी रेकर्डेड खातेदार है। खसरा नम्बर 12/9 के पास ही खसरा नम्बर 12/1 हाईवे सडक का आया हुआ है। प्रार्थीनी की भूमि बेसकीमती भूमि है। हाईवे सडक मूल खसरा नम्बर 12 में से निकली परन्तु मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त सडक की तरमीम लट्ठा ट्रेस में एक दम कोण देकर प्रार्थीनी की उक्त आराजी में कर दी गई है अतः तरमीम दुरस्त की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का इकवाली जबाव पेश कर तरमीम दुरूस्ती करने की सहमति दी। विप्रार्थी संख्या 4 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पक्षकारान की आपसी सहमति से तरमीम दुरूस्ती किये जाने का कथन किया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थीनी के आवेदन के सम्बन्ध में कोई लिखित कथन पेश नहीं किया गया।

भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थीनी के खसरा की तरमीम पक्षकारान की सहमति से किये जाने का कथन तो किया है परन्तु यह अंकित नहीं किया है कि विवादित भूमि की तरमीम अशुद्ध व गलत किस स्तर पर हुई है। इसी प्रकार प्रार्थीनी द्वारा भी अपने आवेदन के समर्थन में ऐसा कोई ठोस कारण व दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि प्रार्थीनी के विवादित खेत की तरमीम लट्ठा ट्रेस में गलत किस प्रकार से व किस स्तर से हुई है। चूंकि हाईवे सडक पूर्व से ही विद्यमान है पत्रावली पर उपलब्ध सन 1963 के नामान्तरण संख्या 70 में विवादित खसरा में गेर मुमकिन सडक पी. डब्ल्यू.डी. के नाम से दर्ज है। इससे यह प्रतीत नहीं होता है कि तरमीम किस प्रकार अथवा किन कारणों गलत हुई है। प्रार्थीनी अपने आवेदन के समर्थन में एवं तरमीम गलत होने के तथ्यों के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण एवं दस्तावेजी सबूत पेश कर अपने आवेदन को साबित करने में विफल रही है। उक्त तरमीम करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा कोई भूल अथवा लिपिकीय त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा वांछित तरमीम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत शुद्धि किये जाने योग्य नहीं होने से एवं तरमीम अशुद्धि का कारण ज्ञात नहीं होने के कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी